सराहनीय कार्य जनपद फिरोजाबाद दिनांक 29-07-2022

थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या करने जा रहे 04 शातिर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गिरफ्तार ।

- गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद ।
- 01 हैंड ग्रेनेड, 03 तमंचा नाजायज 315 बोर, 06 कारतूस जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर किये गये है बरामद ।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिन पर विभिन्न थानों पर दर्जनों अभियोग हैं पंजीकृत ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गयी हैं । अभियान के अनुपालन में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.07.2022 को गश्त एवं चैकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति के दौरान मुखविर द्वारा सूचना मिली कि बदमाशों का एक गैंग जो अवैध असलाह लेकर सिकन्दरपुर बम्बा के पास कोई संगीन अपराध करने की योजना बना रहा है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना जसराना पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हुये 04 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 हैंड ग्रेनेड, 03 अदद तमंचा 315 बोर, 06 कारतूस जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुये हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जसराना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य थानों को सूचित किया गया है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वर्ष 2016 में हमने पिंकी प्रधान की एजेन्सी से एक आयसर ट्रैक्टर लोन पर खरीदा था तथा 02 माह बाद हमने यह ट्रैक्टर अपने रिश्तेदारो को बेच दिया था। लोन के पैसे के तगादे पर हमने अपना पांच बीघा खेत हमने पिंकी प्रधान को गिरवी रख दिया था, बाद में हमने लोन के पैसे भी नकद पिंकी प्रधान को जमा कर दिये थे। लेकिन पिंकी प्रधान ने हमारा पांच वीघा खेत वापस नही किया। इसी रंजिश में अभियुक्तगण ने अपने गांव के बदमाश विजयपाल पुत्र अनोखेलाल को 03 लाख रूपये पूर्व ग्राम प्रधान पलिया दोयम प्रदीप उर्फ पिंकी की हत्या करने की सुपारी तय कर दी जिसमें 01 लाख रूपये एडवान्स दे दिये तथा 02 लाख रूपये हत्या होने के बाद देने तय हुये। अभियुक्तगण गुस्से में आज योजना बनाकर स्वयं विजयपाल उपरोक्त के साथ पिंकी प्रधान की हत्या करने जा रहे थे कि पकडे गये।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विजयपाल व उसके भाईयो ने दिनांक 18.02.2008 को अपने गाँव के महेश फौजी का मर्डर कर दिया था जिसमें मु0अ0सं0 34/2008 धारा 147/148/302/307 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 22.04.2008 को गिरफ्तार होकर जेल गया तथा दिनांक 15.01.2010 को आजीवन कारावास की सजा हुई, अभी दो माह पूर्व जेल से छूटकर आया है। आते ही पिंकी प्रधान पलिया दोयम की हत्या की सुपारी ले ली तथा आज अन्य अभियुक्तों को साथ पिंकी प्रधान की हत्या करने जा रहा था कि मौके से भागने में सफल रहा।

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है एवं जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. राजपाल पुत्र विद्याराम निवासी पलिया दोयम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
2. राहुल पुत्र राजपाल निवासी पलिया दोयम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
3. सुरजीत पुत्र राजपाल निवासी पलिया दोयम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
4. शिवप्रताप पुत्र राजपाल निवासी पलिया दोयम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद

नाम पता फरार अभियुक्तः-

1. विजयपाल पुत्र अनोखेलाल निवासी पलिया दोयम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 34/2008 धारा 147/148/302/307 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद **(आजीवन कारावास की सजा)**

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 367/2022 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 368/2022 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम थाना जसराना फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 369/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 370/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 371/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्तगण उपरोक्त से बरामदगी का विवरण –

1. एक हैंड ग्रेनेड
2. तीन अदद तमंचा 315 बोर
3. छः कारतूस जिन्दा 315 बोर
4. एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

आपराधिक इतिहास अभि0 राजपाल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 408/2009 धारा 364ए थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 377/2018 धारा 147/336/427/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 495/2018 धारा 435 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0 498/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

5. मु0अ0सं0 499/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम व 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 राहुल उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 408/2009 धारा 364ए थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 377/2018 धारा 147/336/427/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 490/2018 धारा 307/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 500/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 501/2018 धारा 21/22 एऩडीपीएस एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 148/2021 धारा 147/352 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 सुरजीत उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 504/2018 धारा 147/352 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 शिवप्रताप उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 377/2018 धारा 147/336/427/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभि0 शिवप्रताप उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 034/2008 धारा 147/336/427/504/506 भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक आजादपाल सिह थाना जसराना फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 सन्दीप सिह थाना जसराना फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 अनुज कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद ।
4. का0 37 दिलीप कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद ।
5. का0 342 अंकित मलिक थाना जसराना फिरोजाबाद ।
6. का0 494 अंकित तौमर थाना जसराना फिरोजाबाद ।
7. का0 1224 राजकुमार थाना जसराना फिरोजाबाद ।
8. का0 1362 भूपेन्द्र कुमार थाना जसराना फिरोजाबाद ।